25/10/24 पत्रावली पेश हुई वकीलान कार्य से
उप० प्रकरण में जवाब / बहस हेतु
~~पत्रावली~~ दिनांक 6/11/24 को पेश हो

6/11/24 पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी
अधिवक्ता उप०। प्रतिवादी अधिवक्ता
द्वारा आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी
का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश
7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का वादी अधिवक्ता
द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस
करने का निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता
द्वारा बहस करने की निवेदन किया गया।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना
पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दीवानी पर
बहस करते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त
भूमि ग्राम पुर के खसरा नं० 7104/1
रकबा 17 बिस्वा भूमि नगर विकास न्यास
द्वारा अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की
जा चुकी है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना
पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया
कि वादीगण द्वारा वादपत्र वर्ष 2014 में
— लगातार —

भीलवाड़ा

नारायणी V/s बंशीलाल वगै०

2014/30

6/11/24 प्रस्तुत किया गया है जबकि नगर विकास न्यास द्वारा वर्ष 2006 में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-90 B में विज्ञप्ति जारी कर सार्वजनिक आपत्तियाँ मांगी गई थी तथा वर्ष 2009 में आदेश जारी कर दिया गया था तथा नामान्तरण संख्या 5235 नि. दिनांक 30/10/2009 से भूमि नगर विकास न्यास के नाम दर्ज हो गई। इसके पश्चात नगर विकास न्यास द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख के आधार पर अकृषि उपयोगनार्थ (औद्योगिक) भूमि को बीगर व्यक्ति सुशीला मालानियों को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13/11/2009 से बेचान किया जा चुका है। नगर विकास न्यास द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13/11/2009 के आधार पर भूमि का स्वामित्व हस्तान्तरित कर दिया गया है। इस प्रकार भूमि अकृषि उपयोगनार्थ रूपान्तरित होने से इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 जा-दीवानी से बाधित होने के कारण खारिज है एवं स्वतः ही अबेट हो चुका है।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुये निवेदन किया कि वादीगणों द्वारा वादग्रस्त भूमि के पुश्तैनी कृषि भूमि होने तथा पुश्तैनी कृषि भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जन्म से ही अधिकार निहित होने के कारण दावा पेश किया गया है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भी अपने जवाब दावे में वादग्रस्त भूमि के पुश्तैनी कृषि भूमि होने के ~~कारण~~ तथ्य को स्वीकार किया गया है तथा इस हेतु जमाबंदी सम्वत् 2041-45 की प्रति भी पेश की गई है जिससे वादग्रस्त भूमि के पैतृक जायदाद होने की पुष्टि होती है। अतः प्रतिवादी सं.1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी काबिले खारिज है। साथ ही प्रतिवादी सं. 2 द्वारा भूमि का बीगर व्यक्तियों को अन्तरण कर दिये जाने से उसका कोई हित भूमि में निहित नहीं है। अतः प्रतिवादी सं.2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी काबिले खारिज है।

पीठासीन अधिकारी
भादसोड़ा

— लगातार

तारीख हुक्म	2014/30 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नारायणी v/s बंशीलाल वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/11/24	प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा काउण्टर बहस करते हुये निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2065-68 में वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर के खसरा नं० 7154/1 रकबा 0.17 बीघा भूमि नामान्तरण संख्या 5325 दि. दि. 31/01/2003 से नगर विकास न्यास द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-B में पुनर्ग्रहित किये जाने से खातेदारी भूमि नहीं रही थी। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 के अनुसार न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने से काबिले खारिज है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी. पेशी तथा संलग्न दस्तावेजों, वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2065-68 का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस एवं वादी अधिवक्ता की बहस का चिंतन एवं मनन किया गया। साथ ही सम्बन्धित विधि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र, संबंधित विधि के अवलोकन तथा बहस के चिंतन-मनन उपरान्त प्रथमदृष्टया यह उचित प्रतीत होता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सिविल प्रक्रिया संहिता	

—लगातार—

सहायक कलक्टर
6/11
भीलवाड़ा

2014/30 नारायणी v/s बंशीलाल

6/11/14 के आदेश 7 नियम 11 के उपनियम (घ) "जहाँ वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि से वर्जित है" से शासित होता है। ~~प्रार्थना~~

अत: वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

6/11/14

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा